



## उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-28/2022-23

सरकार

बनाम्

संतोष कुमार राय

—: आदेश :—

देनांक 29/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।  
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या-82/2022 दिनांक-31.05.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-2872/अप0शा0 दिनांक-01.08.2022 से धारा-414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 के मालिक संतोष कुमार राय, पिता-रामउदय राय, सा0-धैपुरा, थाना-समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरुद्ध धारा-414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड

खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी संतोष कुमार राय को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण-पृच्छा दाखिल किया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी ई0-चालान के आधार पर 500 घन फीट स्टोन चिप्स ले जा रहा था, जिसका क्रमांक-F52201117/338 दिनांक-30.05.2022 है, जो दिनांक-30.05.2022 को जारी किया गया था और दिनांक-31.05.2022 समय 06:16:32 पी0एम0 तक वैध था। उक्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 से सरकार का विकास योजना में उपयोग के उद्देश्य से खनिज समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। उनका आगे कहना है कि विपक्षी को अग्रिम जमानत तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा से मिल गया है। इसलिए राजसात की प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है। उन्होंने वर्तमान राजसात की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध स्टोन चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। महागामा थाना काण्ड संख्या-82/2022 दिनांक-31.05.2022, भा0द0वि0 की धारा-414 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर महागामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

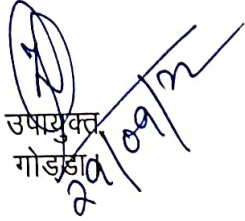
उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 को स्टोन चिप्स का अवैध तरीके से परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। वाहन जप्ती के समय कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से स्टोन चिप्स के परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 41040.00 (एकतालीस हजार चालीस) रू० जुर्माना राशि एवं दो लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन ट्रक निबंधन सं०-BR01GC-6667 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

डी० बी०-109  
28.10.22



## उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-28/2022-23

सरकार

बनाम्

संतोष कुमार राय

—: आदेश :—

दिनांक 16/11/22

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

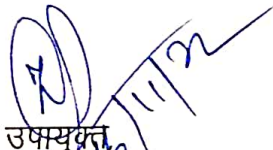
मामला महागामा थाना काण्ड संख्या-82/2022 दिनांक-31.

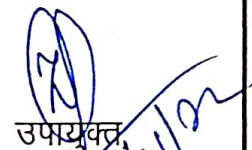
05.2022 से संबंधित है।

विपक्षी संतोष कुमार राय ने जप्त ट्रक निबंधन सं0-BR01GC-6667 को विमुक्त करने के लिए जुर्माना की राशि 41040.00 (इकतालीस हजार चालीस) रू0 का रसीद की प्रति, दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र के रूप में वाहन-BR34GA-4561 से संबंधित कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है।

अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमें लदे स्टोन चिप्स को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।  
लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त  
गोड्डा।

  
उपायुक्त  
गोड्डा।

सी० की०-137  
18.11.22